

प्रेस नोट

दिनांक – 23.10.2026

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा दहेज हत्या के मामले में 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी गुन्जन पत्नी सुधीर कुमार दूबे निवासी माझा तरहर, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा द्वारा थाना धानेपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री का विवाह दिनांक 09.05.2022 को आदर्श उर्फ सनी पुत्र लल्लन निवासी ग्राम गौरीपुरवा, मौजा त्रिलोकपुर, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर उनकी पुत्री को प्रताड़ित किया जाता था तथा ₹5 लाख अतिरिक्त की मांग की जा रही थी। वादिनी के अनुसार दिनांक 24.06.2026 को उनकी पुत्री ने फोन पर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किए जाने तथा अपनी जान को खतरा होने की बात बताई थी। दिनांक 24/25.06.2026 की रात्रि में उसकी तबीयत खराब होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद जानकारी करने पर उसकी मृत्यु होने की जानकारी मिली। वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना धानेपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ।

कार्यवाही-

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना धानेपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित 02 वांछित अभियुक्तगण को बग्गी रोड बाजार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. लल्लन उर्फ कृष्णकान्त शुक्ला पुत्र वासुदेव शरण शुक्ला, निवासी गौरीपुरवा, मौजा त्रिलोकपुर, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा।
2. आदर्श कुमार शुक्ला पुत्र कृष्णकान्त शुक्ला, निवासी गौरीपुरवा, मौजा त्रिलोकपुर, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0-243/2026 धारा 80(2), 85, 115(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री गंगोत्री यादव
2. हे0का0 धर्मेन्द्र यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक – 23.10.2026

साइबर जागरूकता माह अक्टूबर के तहत गोण्डा पुलिस द्वारा साइबर हेल्प डेस्क की कार्यप्रणाली एवं शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया के संबंध में आमजन को किया गया जागरूक-

गोण्डा। साइबर जागरूकता माह अक्टूबर के तहत आज दिनांक 23.10.2026 को गोण्डा पुलिस के समस्त थानों द्वारा साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान आमजन को पुलिस थानों में स्थापित साइबर हेल्प डेस्क, उसकी कार्यप्रणाली तथा साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों पर की जाने वाली कार्यवाही एवं निस्तारण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में बताया गया कि साइबर हेल्प डेस्क के माध्यम से साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों को सुनकर पीड़ितों को आवश्यक सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। साइबर ठगी, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, सोशल मीडिया अकाउंट हैक होने तथा अन्य साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है। आमजन को साइबर अपराध का शिकार होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराने तथा आधिकारिक वेबसाइट www.cybercrime.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत करने के संबंध में भी जानकारी दी गई। साथ ही किसी भी साइबर घटना की सूचना बिना देरी के पुलिस को देने, संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने तथा अपनी व्यक्तिगत एवं बैंकिंग संबंधी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करने की अपील की गई। गोण्डा पुलिस आमजन को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने एवं साइबर सुरक्षा के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु निरंतर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रही है।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक – 23.10.2026

साइबर जागरूकता माह अक्टूबर के तहत गोण्डा पुलिस द्वारा साइबर हेल्प डेस्क की कार्यप्रणाली एवं शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया के संबंध में आमजन को किया गया जागरूक-

गोण्डा। साइबर जागरूकता माह अक्टूबर के तहत आज दिनांक 23.10.2026 को गोण्डा पुलिस के समस्त थानों द्वारा साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान आमजन को पुलिस थानों में स्थापित साइबर हेल्प डेस्क, उसकी कार्यप्रणाली तथा साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों पर की जाने वाली कार्यवाही एवं निस्तारण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में बताया गया कि साइबर हेल्प डेस्क के माध्यम से साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों को सुनकर पीड़ितों को आवश्यक सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। साइबर ठगी, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, सोशल मीडिया अकाउंट हैक होने तथा अन्य साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है। आमजन को साइबर अपराध का शिकार होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराने तथा आधिकारिक वेबसाइट www.cybercrime.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत करने के संबंध में भी जानकारी दी गई। साथ ही किसी भी साइबर घटना की सूचना बिना देरी के पुलिस को देने, संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने तथा अपनी व्यक्तिगत एवं बैंकिंग संबंधी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करने की अपील की गई। गोण्डा पुलिस आमजन को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने एवं साइबर सुरक्षा के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु निरंतर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रही है।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक – 23.10.2026

मेटा अलर्ट के माध्यम से आत्महत्या संबंधी वीडियो पोस्ट किए जाने की सूचना पर धानेपुर पुलिस ने तत्परता से की कार्यवाही, युवक की काउंसलिंग कर दिया आवश्यक परामर्श-

गोण्डा। सोशल मीडिया पर आत्महत्या संबंधी वीडियो पोस्ट किए जाने की सूचना मेटा अलर्ट के माध्यम से प्राप्त होने पर थाना धानेपुर पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित युवक से संपर्क कर आवश्यक कार्यवाही की गई।

कार्यवाही का विवरण—

थाना धानेपुर क्षेत्र में मेटा अलर्ट के माध्यम से थाना धानेपुर क्षेत्रांतर्गत एक लड़के द्वारा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या से संबंधित वीडियो पोस्ट किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर धानेपुर पुलिस द्वारा तत्काल सक्रियता दिखाते हुए युवक से संपर्क स्थापित किया गया तथा उसकी काउंसलिंग की गई।

पूछताछ एवं काउंसलिंग का विवरण—

पूछताछ के दौरान युवक ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड से विवाद होने तथा बातचीत बंद हो जाने के कारण उसने उक्त वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। युवक ने अन्य किसी समस्या अथवा परेशानी से इनकार किया। पुलिसकर्मी द्वारा युवक को समझाया गया तथा उसे इस प्रकार की पोस्ट न करने के संबंध में

आवश्यक परामर्श दिया गया। युवक ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में इस प्रकार की वीडियो पोस्ट न करने तथा आत्महत्या जैसा कदम न उठाने का मौखिक आश्वासन दिया।

पुलिस की अपील—

गोण्डा पुलिस आमजन से अपील करती है कि सोशल मीडिया पर आत्महत्या से संबंधित किसी भी प्रकार की पोस्ट अथवा वीडियो दिखाई देने पर उसे गंभीरता से लें और तत्काल पुलिस को सूचित करें। मानसिक तनाव अथवा किसी परेशानी की स्थिति में अपने परिजनों, मित्रों या संबंधित सहायता सेवाओं से संपर्क करें। समय पर सूचना और उचित सहयोग से किसी की अनमोल जिंदगी बचाई जा सकती है।

मीडिया सेल, गोण्डा।